न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./83/2019/बाड़मेर

अपीलांट

1. काना पुत्र रूपा उम्र 43 वर्ष
2. मोहन पुत्र रूपा उम्र 39 वर्ष
3. श्रीमती मूली पत्नी रूपा
4. हीरा पुत्र रणछोड़ा उम्र 66 वर्ष जाति कलबी निवासी डेडावास जांगीर, रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.श्रीमती पूरी पत्नी मूलाराम उम्र 55 वर्ष
2.श्रीमती अणसी पत्नी धन्नाराम उम्र 51 वर्ष जाति कलबी निवासी डेडावास जांगीर रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
3.मैनेजर एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसील गुड़ामालानी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2013 बअनवान पूरी वगैरा बनाम काना वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री खेताराम सैन अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 03.03.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त एवं कब्जा काश्त के खेत मौजा डेडावास जांगीर पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 53 रकबा 16 बीघा व खसरा संख्या 55 रकबा 07 बीघा का आया हुआ है जिस भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है तथा इसी अनुसार बाहामी बंटवाडा किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली वादीगण की साक्ष्य में दिनांक 09.09.2019 को नियत थी तथा दिनांक 09.09.2019 वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किये गये तथा वादीगण साक्ष्य से अपीलांटगण को जिरह हेतु पत्रावली दिनांक 13.09.2019 को नियत की गई जिस पर दिनांक 13.09.2019 प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता आवश्यक कार्य के चलते न्यायालय में उपस्थित नहीं हुऐ जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अधिवक्ता की अनुपस्थिति में वादीगण साक्ष्य से जिरह करने का अवसर बंद कर दिया तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण की साक्ष्य भी उसी दिन बंद कर दी, उसी दिन बहस सुनने का पत्रावली में अंकित कर उसी दिन प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कांट–छांट कर समस्त कार्यवाही एक ही दिन में कर अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली वादीगण की साक्ष्य में दिनांक 09.09.2019 को नियत थी तथा दिनांक 09.09.2019 वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किये गये तथा वादीगण साक्ष्य से अपीलांटगण को जिरह हेतु पत्रावली दिनांक 13.09.2019 को नियत की गई जिस पर दिनांक 13.09.2019 प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता आवश्यक कार्य के चलते न्यायालय में उपस्थित नहीं हुऐ जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अधिवक्ता की अनुपस्थिति में वादीगण साक्ष्य से जिरह करने का अवसर बंद कर दिया तथा प्रतिवादीगण की साक्ष्य भी उसी दिन बंद कर दी, उसी दिन बहस सुनने का पत्रावली में अंकित कर उसी दिन प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कांट–छांट कर समस्त कार्यवाही एक ही दिन में कर अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय विधि के सुस्थापित सिद्धांतों व प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का घोर उल्लघंन किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि ग्राम डेडावास जागीर के खसरा संख्या 53 व 55 में अणदाराम से भूमि क्रय कर 1/2 हिस्सा दर्ज हो गया। अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद का पैरा संख्या 02 अपीलांट स्वयं स्वीकार करता है जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है। और सहखातेदारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव में हिस्सा बराबर–बराबर तय किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 227 के प्रावधानों के अनुसार सही पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव आने पर अपीलांट के पास आपति पेश करने का अधिकार सुरक्षित है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट के हितों का हनन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

किसी प्रकार से नहीं हुआ है। अपीलांटगण बंटवारें को रोकने की नियत से तथा मुझे मेरे हिस्से से वंचित रखने की नियत से मामले को लंम्बा करना चाहते है। अपीलांटगण द्वारा साफ हाथों से एवं सद्भवना के साथ न्यायालय में अपील पेश नहीं की है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा वादी पक्ष के द्वारा उल्लेखित हिस्सों पर अपनी सहमती प्रस्तुत कर दी, ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद उनके अभिवचनों अनुसार स्वीकार कर प्रस्तुत राजस्व अभिलेख मुताबिक हक-हिस्से घोषित किये गए है इसके उपरांत अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण को कोई आपति हो तो वह अधीनस्थ न्यायालय में उजर एतराज पेश करने हेतु स्वतंत्र है। इस निर्णय में अपीलांटगण की आपति का कोई आधार नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील अपीलांट की अपील को खारिज करना उचित होगा।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2013 बआनवान पूरी वगैरा बनाम काना वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2019 यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

02/2/20
(नाथूसिंह राजपुरोहित)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/3/20
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner